न्यायालय राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार
अन्तर्गत दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना, पिनकोड-800015
दूरभाष सं0-0612-2215041, 2215152,
email - courtscdbihar@gmail.com, Website : scdisabilities.org

पत्रांक- 257/आ.नि.श.   दिनांक- 02/03/2021

आदेश

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-82 के अन्तर्गत

वाद सं0-52/2021

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के अध्याय-5 की कंडिका धारा-26 के क्रियान्वयन नहीं किए जाने के सम्बन्ध में प्राप्त सूचना के आलोक में स्वत: संज्ञान

बनाम

(1) बिहार के सभी स्वास्थ्य बीमा कम्पनी के प्रभारी पदाधिकारी (सूची के अनुसार)
(2) बीमा लोकपाल, बीमा लोकपाल का कार्यालय, प्रथम तल्ला, कल्पना आर्केड बिल्डिंग, बाजार समिति रोड, बहादुरपुर, पटना।
(3) अध्यक्ष, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, जीवन तारा विल्डिंग, गेट नं0-3, प्रथम तल्ला, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
(4) उप पुलिस महानिरीक्षक ट्रेफिक, बिहार, पटना।
(5) निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।
(6) उप पुलिस महानिरीक्षक, बिहार, पटना।
(7) पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था), बिहार, पटना।

प्रकरण में :- राज्य आयुक्त नि:शक्तता, बिहार, पटना को विगत कुछ समय से दिव्यांगों को स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा, सामान्य बीमा, सड़क दुर्घटना से उत्पन्न विकलांगता आदि का लाभ नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में स्वत: संज्ञान।

स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा, सामान्य बीमा, सड़क दुर्घटना से उत्पन्न विकलांगता आदि के सम्बन्ध में इस न्यायालय को विभिन्न माध्यमों से सूचना प्राप्त हो रही है कि दिव्यांगजनों को बीमा की योजनाओं से नहीं जोड़ा जा रहा है और न ही सड़क दुर्घटना से उत्पन्न विकलांगता का मुआवजा प्रदान किया जाता है। न्यायालय के संज्ञान में इस तथ्य को भी लाया गया है कि सड़क दुर्घटना के उपरांत दायर प्राथमिकी में छुवित को किसी प्रकार का मुआवजा प्रदान नहीं किया जाता है। सड़क दुर्घटना में छुवित व्यक्ति विकलांगता के श्रेणी में आ जाते हैं, जो एक संवेदनशील एवं गंभीर विषय है। सड़क दुर्घटना के कई सारे मामलों में प्राथमिकी अंकित नहीं करना ज्वलंत विषय है, परिणामत: दुर्घटना से छुवित जो दिव्यांगता के श्रेणी में आने के उपरांत भी प्रतिवादी द्वारा उनकी उपेक्षा की जाती है। यह विषय आपके विभाग/संस्थान से होने के कारण इसे वाद में परिणत किया गया है, जिसकी वाद सं0-52/2021 है।

भारतीय संविधान के अनुछेद-21 एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के अध्याय-5 के धारा-26 अन्तर्गत दिव्यांगजनों को किसी भी बीमा की योजना से वंचित नहीं किया जा सकता है।

क्र0पृ030............

विदित हो कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-80 एवं 82 के अन्तर्गत राज्य आयुक्त नि:शक्तता को दिव्यांगजनों के अधिकारों व उपलब्ध सुरक्षापायों से सम्बन्धित मामलें में समुचित प्राधिकारियों को निदेशित करने हेतु प्राधिकृत किया गया है एवं इसके निर्वहण के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय के समरूप शक्तियाँ प्रदान की गई है।

प्रतिवादीगणों की उपस्थिति एवं जबाव दायर हेतु नोटिस निर्गत करें। प्रतिवादीगणों को आदेश दिया जाता है कि वे वाद की सुनवाई की अगली तिथि को स्वयं अथवा अपने सक्षम प्रतिनिधि के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर जबाव दायर करेंगे।

वाद के सुनवाई की अगली तिथि 25.03.2021 निर्धारित की जाती है।

मेरे हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ दिवस 02 माह 03 वर्ष 2021 को जारी की गयी।

02.03.2021

(डॉ0 शिवाजी कुमार),
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-वाद सं0-52/2021-257/311.नि.श. दिनांक-02/03/2021

प्रतिलिपि:-उप मुख्य आयुक्त, विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सरोजिनी हाउस, 6, भगवान दास रोड, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

02.03.2021

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

राज्य आयुक्त दिव्यांगजन न्यायालय बिहार, पटना सं0सं0